न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
बिलाड़ा, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :— भवानी सिंह, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या :— 29/2021

प्रार्थीगण	**बनाम**	**अप्रार्थीगण**
1. सत्यनारायण पुत्र स्व. मांगीलाल जाति साद निवासी आद"र्ा चौक सीरवी बास ग्राम भावी तहसील बिलाडा जिला जोधपुर		1. कान्तीलाल पुत्र स्व. भंवरलाल 2. वासुदेव पुत्र स्व. भंवरलाल 3. कुन्तादेवी पत्नी स्व. भंवरलाल जातियान साद निवासीगण कालाभाटा बास सीरवीबास ग्राम भावी तहसील बिलाडा जिला जोधपुर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956

— — — — —

उपस्थितिः— प्रार्थी की ओर से श्री मदन लाल चौधरी अधिवक्ता।

अप्रार्थी संख्या 1 से 3 की ओर से राजेन्द्र प्रसाद बोराणा अधिवक्ता।

:: आदेश :: **दिनांक**

संक्षेप में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम भावी सीरवी बास तहसील बिलाडा की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा सं. 1740 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा (0.3398हैक्टेयर) किस्म बारानी प्रथम आयी हुयी है। जो प्रार्थी व प्रार्थी के भाई पोकरदास की सयुक्त खातेदारीसुदा व सयुक्त कब्जा का"तसुदा भूमि है। जिसमें राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी संवत 2076 से 2079 में दर्ज इन्द्राज के अनुसार प्रार्थी का 1/2 व प्रार्थी के भाई पोकरदास का 1/2 सयुक्त रूप से हिस्सा दर्ज है। उक्त कृषि भूमि को वाद के आगे के पदों में वादग्रस्त कृषि भूमि से सम्बोधित किया जायेगा। वादग्रस्त कृषि भूमि का प्रार्थी व उसके भाई पोकरदास के मध्य आज दिन तक विधिवत व लिखित बंटवाडा नहीं हुआ है तथा कानूनन जब तक किसी भी सयुक्त खातेदारी की भूमि का विधिवत व लिखित बंटवाडा नहीं हो जाता है तब तक प्रत्येक इन्च की भूमि पर प्रत्येक सहखातेदार का कब्जा माना जाता है। प्रार्थी का भाई पोकरदास साधु बन चुका है तथा पिछले 40 वर्षों से सम्पूर्ण वादग्रस्त कृषि भूमि पर प्रार्थी का ही भौतिक व वास्तविक रूप से कब्जा है व प्रार्थी ही का"त करता आ रहा है। वादग्रस्त कृषि भूमि पर बरसाती फसल की ही खेती होती है दिनांक 28.05.2021 से सात आठ दिन पूर्व बरसात होने से प्रार्थी आज दिनांक 28.05.2021 को वादग्रस्त कृषि भूमि पर फसल की बुवाई व वादग्रस्त कृषि भूमि की खडाई करते हेतु ट्रेक्टर लेकर वादग्रस्त कृषि भूमि पर गया तो वहा ज्योही प्रार्थी द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि पर ट्रेक्टर से [illegible] करना शुरू किया तो धोडी देर बाद सभी अप्रार्थीगण वाद[illegible] प्रार्थी को वादग्रस्त कृषि भूमि पर खडाई व बुवाई करने से मना [illegible] दिया, तथा प्रार्थी को इस आ"ाय की धमकी दी कि "वादग्रस्त कृषि भूमि उनकी है वादग्रस्त कृषि भूमि में प्रार्थी का कोई अधिकार नहीं है तथा यदि प्रा[illegible] द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि पर अप्रार्थीगण

Signature Not Verified
Digitally Signed by Bhawani Singh
Date: 2021.07.29 13:13:29 IST
Reason: SelfAttested

द्वारा मना करने के बावजूद यदि प्रार्थी द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि पर खडाई व बुवाई की तो अप्रार्थीगण प्रार्थी व प्रार्थी के परिवार के सदस्यों को जान से खत्म कर देंगे तथा प्रार्थी को वादग्रस्त कृषि भूमि से जबरन बेदखल कर अप्रार्थीगण गैर कानूनी तरीके से वादग्रस्त कृषि भूमि पर जबरन कब्जा कर देंगें। अप्रार्थीगण की इस आ"ाय की धमकी से प्रार्थी पुनः वादग्रस्त कृषि भूमि पर खडाई व बुवाई किये बिना वापस अपने घर पर आ गया। क्योकि प्रार्थी कानून में वि"वास करता है तथा गैर कानूनी कार्य करना नहीं चाहता है। वादग्रस्त कृषि भूमि प्रार्थी व उसके भाई पोकरदास की सयुक्त खातेदारीसुदा व सयुक्त कब्जा का"तसुदा भूमि है, जिस पर प्रार्थी को का"त करने का कानूनन पूर्ण अधिकार है, तथा अप्रार्थीगण को वादग्रस्त कृषि भूमि पर प्रार्थी को का"त करने से रोकने व मना करने तथा वादग्रस्त कृषि भूमि पर जबरन कब्जा करने का कानूनन कोई अधिकार नहीं है। फिर भी अप्रार्थीगण गैर कानूनी रूप से प्रार्थी को वादग्रस्त कृषि भूमि पर का"त करने नहीं दे रहे है। तथा वादग्रस्त कृषि भूमि पर जबरन कब्जा करने पर आमादा है। जबकि प्रार्थी व उसके परिवार के जीवनयापन का एकमात्र साधन का"त ही है, यदि प्रार्थी द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि पर का"त नहीं की गयी तो प्रार्थी व उसके परिवार के सदस्यों का जीवनयापन करना मु"िकल हो जायेगा। अप्रार्थीगण द्वारा गैर कानूनी तरीके से वादग्रस्त कृषि भूमि पर प्रार्थी को का"त भूमि पर जबरन कब्जा नहीं करने हेतु अप्रार्थीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आव"यक है इसलिए यह वाद बाबत स्थायी निषेधाज्ञा का माननीय न्यायालय के समक्ष पे"। है। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सतुंलन प्रार्थी के पक्ष में है क्योंकि वादग्रस्त कृषि भूमि प्रार्थी व उसके भाई पोकरदास की सयुक्त खातेदारीसुदा व सयुक्त कब्जा का"तसुदा कृषि भूमि है जिस पर पिछले 40 सालों से वादी अकेले का ही कब्जा का"त है जिस पर पिछले 40 सालों से वादी अकेले का ही कब्जा का"त है। तथा अप्रार्थीगण को वादग्रस्त कृषि भूमि पर प्रार्थी को का"त करने से मना व वंचित करने तथा जबरन कब्जा करने तथा प्रार्थी को बेदखल करने का कानूनन कोई अधिकार नहीं है, तथा न ही वादग्रस्त कृ षि भूमि अप्रार्थीगण की खातेदारीसुदा व कब्जा का"तसुदा कृषि भूमि है, यदि अप्रार्थीगण को उनके द्वारा कारित उक्त गैर कानूनी कृत्य से नहीं रोका गया तो प्रार्थी वादग्रस्त कृषि भूमि पर प्राप्त हक व अधिकारों से तथा कब्जा का"त से वंचित हो जायेगा। जिससे प्रार्थी को अपूर्णनीय क्षति होगी जिसका मूल्याकंन मूल्यों में नहीं आंका जा सकता तथा प्रार्थी का वाद पे"। करने का मकसद ही समाप्त हो जायेगा व प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य अ"ाांति पैदा हो जायेगी व मुदकमें बाजी बढ जायेगी। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णनीय क्षति के बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि राजस्व मूलवाद के निर्णय तक के लिए प्रार्थी के पक्ष में व अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आ"ाय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वो राजस्व ग्राम भावी सीरवी बास तहसील बिलाडा की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा सं. 1740 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा (0.3398 हैक्टेयर) किस्म बारानी प्रथम पर प्रार्थी को का"त करने से न तो स्वयं मना करे व न ही का"त से स्वयं वंचित करे तथा प्रार्थी को उपरोक्त कृषि भूमि से जबरन न तो बेदखल करे व न ही जबरन कब्जा करे न ही अपने परिवार के अन्य सदस्य, एजेन्ट, मजदूर आदि से किसी प्रकार की उपरोक्त कृषि भूमि पर प्रार्थी के कब्जा का"त में दखल व बाधा उत्पन्न करावे व न ही उनसे प्रार्थी को जबरन बेदखल करावे व न ही उनसे जबरन कब्जा करावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण के नोटिस तामील होकर प्राप्त हुए। अप्रार्थी संख्या 1 से 3 की ओर से अप्रार्थी अधिवक्ता [illegible] जवाब प्रार्थना पत्र पे"। किया जिसके संक्षेप तथ्य इस प्रकार है कि [illegible] भूमि पर कब्जा का"त अप्रार्थीगण का है जिसमें प्रार्थी का कोई हक हिस्सा अधिकार व दखल नहीं है, पद सं. 1 में वर्णि

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2021.07.29 13:13:29 IST
Reason: SelfAttested

भूमि पारिवारिक समझौते के अनुसार अप्रार्थी सं. 1 के हक हिस्से में आयी हुई है जिसमें प्रार्थी का नाम दर्ज है प्रार्थी को बार बार कहने पर भी अप्रार्थी सं. 1 के पक्ष में रजिस्ट्री नही करवा रहा है और मात्र दावे की आड में कब्जा नहीं होते हुए भी स्टे की आड में अप्रार्थी सं. 1 को उसकी पु”तैनी कब्जा सुद वादग्रस्त भूमि से बेदखल करने हेतु मिथ्या तथ्यों के आधार पर दावा पे”। किया ह अप्रार्थी सं. 1 ने प्रार्थी के विरूद्ध माननीय न्यायालय में पूर्व में एक वाद अन्तर्गत धारा 188, 88 का पे”। कर रखा है जो माननीय न्यायालय में विचाराधीन है प्रार्थी का वाद सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 10 से बाधित होने के कारण अप्रार्थी सं. 1 के वाद के निर्णय तक रोक दिया जाना न्यायहित में आव”यक है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने के कारण काबिल ए खारीज के है। वादग्रस्त भूमि अप्रार्थी सं. 1 की पु”तैनी कब्जा सुदा भूमि है जिसका कब्जा पूर्व में अप्रार्थी सं. 1 के दादा श्री घीसूदास का तथा उनकी मृत्यु उपरान्त अप्रार्थी सं. 1 के पिता भंवरलाल का तथा उनकी मृत्यु के बाद अप्रार्थी सं. 1 का वादग्रस्त भूमि पर शान्ति पूर्वक बिना रोक टोक के नियमित चला आ रहा है। वादग्रस्त भूमि के संबंध में दिनांक 26.07.1984 को प्रार्थी ने इस आ”ाय का अप्रार्थी सं. 1 के पिता भवरलाल के पक्ष में पारिवारिक समझौते लिख दिया जिसके अनुसार वादग्रस्त भूमि अप्रार्थी सं. 1 के पिता के हिस्से में होना प्रार्थी ने स्वीकार किया और यह स्वीकार किया कि यह पारिवारिक समझौता प्रार्थी के दादा जोगीदास ने प्रतिवादी सं. 1 के दादा श्री घीसूदास के हक में कर दिया है जो सही है, प्रार्थी ने यह भी स्वीकार किया कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के काकाजी पच्चीस वर्षो से बोते आ रहे है। वादग्रस्त भूमि पर एक मात्र कब्जा का”त अप्रार्थी सं. 1 का ही पीढियों से चला आ रहा है जिसमें प्रार्थी का कोई हक हिस्सा अधिकार दखल नहीं है। वादग्रस्त भूमि पर अप्रार्थी सं. 1 का भौतिक व वास्तविक कब्जा पीढियों से चला आ रहा है। स्थगन आदे”। की आड में प्रार्थी अप्रार्थी सं.1 को उसकी पु”तैनी कब्जा सुद वादग्रस्त भूमि से बेदखल करने हेतु मिथ्या तथ्यों के आधार पर दावा पे”। किया है जो काबिल ए खारिज के है। वादग्रस्त भूमि पर अप्रार्थी सं. 1 का पीढियों से कब्जा का”त चला आ रहा है। वादग्रस्त भूमि पर एक मात्र कब्जा अप्रार्थी सं. 1 का है। प्रार्थी अप्रार्थी सं. 1 को वादग्रस्त भूमि से बेदखल करने के लिये मिथ्या तथ्यों के आधार पर झूठा वाद पे”। किया है जो काबिल ए खारीज के है। वादग्रस्त भूमि पर अप्रार्थी सं. 1 का ही कब्जा का”त है। अप्रार्थी सं. 1 ने ही हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी खेत की खडाई करवाई है। प्रार्थी का वादग्रस्त भूमि में किसी भी प्रकार का कोई हक नहीं है। वादग्रस्त भूमि पारिवारिक समझौते में अप्रार्थी सं. 1 के हक हिस्से में हो आयी हुई है। वादग्रस्त भूमि पर एक मात्र कब्जा अप्रार्थी सं. 1 का है। अप्रार्थी सं. 1 हमे”ाा का”त करता आया है इस प्रकार वादग्रस्त जमीन पर एक मात्र कब्जा अप्रार्थी सं. 1 का होने एवं फसल बुवाई करने के कारण प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन भी अप्रार्थी सं. 1 क हक में है बावजूद अप्रार्थी सं. 1 को लाठियों के बल पर जबरन बेदखल कर दिया तो अप्रार्थी सं. 1 एक वादग्रस्त भूमि से हमे”ाा हमे”ाा के लिये वंचित हो जायेगा जिससे अप्रार्थी सं. 1 को अपूर्णीय क्षति होगी। जो कानून एवं न्याय की मं”ाा कतई नहीं है।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र पे”। कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र भारी खर्चे हर्जे के साथ खारीज किया जावे तथा प्रार्थी को पाबन्द किया जावे कि वादग्रस्त जमीन से अप्रार्थी को बेदखल नहीं करावे।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी, पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के लिए न्यायालय को विधि द्वारा स्थापित निम्न तीन बिन्दु तय करना है :–

प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णनीय क्षति :– प्रकरण के अनुतोष प्राप्त करने के लिए प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णनीय क्षति अपने पक्ष में साबित करने का भार प्रार्थी पर है। जिस बाबत् विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने वर्णित तथ्यों की पुनरावृति करते हुए मुख्य रूप से यह

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2021.07.29 13:13:29 IST
Reason: SelfAttested

तर्क दिया कि ग्राम भावी सीरवी बास तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 1740 रकबा 02 बीघा 02 बिस्वा प्रार्थी के नाम से राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज है। प्रार्थी उपरोक्त भूमि का रेकर्डेड खातेदार है। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के अधिवक्ता ने दौराने बहस यह अवगत कराया कि उपरोक्त भूमि बाबत प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के पूर्वज स्व. श्री भंवरलाल के नाम एक इकरारनामा निष्पादित किया। जिसके अनुसार उक्त खसरे की भूमि पर एक मात्र कब्जा का"त अप्रार्थी संख्या 1 का होना बताया गया। दौराने बहस प्रार्थी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि वादग्रस्त कृषि भूमि प्रार्थी व उसके भाई पोकरदास की सयुक्त खातेदारी की व सयुक्त कब्जा का"तसुदा कृषि भूमि है जिस पर पिछले 40 वर्षो से प्रार्थी अकेले का ही कब्जा का"त है तथा अप्रार्थीगण जबरन प्रार्थी को उसकी खातेदारी भूमि से बेदखल करना चाहते है। एक सयुक्त खातेदार अपनी बंटसुदा भूमि पर अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र लाने का कानूनन अधिकारी होता है। विवादित भूमि प्रार्थी की रेकर्डेड सयुक्त खातेदारी की भूमि है, जिस पर उसका हित निहित है। माननीय राजस्व मण्डल द्वारा कई निर्णय नजीरों में प्रतिपादित किया है कि विवादित सम्पति की सुरक्षा के लिए निवारक अनुतोष के रूप में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित है। अत प्रथम दृष्टया केस का बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में बनना पाया जाता है।

सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णनीय क्षति :— प्रार्थी अपनी सयुक्त खातेदारी भूमि पर काबिज का"त होने के कारण सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है तथा अगर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की गयी तो प्रार्थी को अपूर्णनीय हानि होगी और वह खेती करने से महरूम कर दिया जायेगा। अतः उपरोक्त दोनो बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में बनना पाया जाता है। अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी सत्यनारायण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान टीनेंसी एक्ट स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाता हूँ।

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ताफैसला दावा अप्रार्थी संख्या 1 सें 3 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वो प्रार्थी की खातेदारी की ग्राम भावी सीरवीबास तहसील बिलाडा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 1740 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा में प्रार्थी के कब्जे का"त में न तो स्वयं किसी प्रकार की दखल करे तथा न अन्य किसी से करावे तथा विवादग्रस्त भूमि में किसी भी भाग पर का"त आदि नही करे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे। पत्रावली फैसल "Iमार होकर दाखिल दफ्तर हो। उपरोक्त पत्रावली मूलवाद के साथ नथी हो।

(भवानी सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

आदेश आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2021.07.29 13:13:29 IST
Reason: SelfAttested

(भवानी सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा